1	2	3	4
			मंत्रालय से पुनर्वास और पुनर्स्थापना स्वीकृति प्राप्त करनी अपेक्षित है।
6.	पेंच व्यपवर्तन	8/88	सलाहकार समिति द्वारा अक्तूबर, 1988 में स्वीकार्य पाया गया। राज्य सरकार को आठवीं योजना में इस परियोजना के लिए पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करना अपेक्षित है। तथापि, चल रही स्कीमों को पूरा करने की आठवीं पंचवर्षीय योजना की नीति को देखते हुए, योजना आयोग द्वारा इस परियोजना को निवेश स्वीकृति प्रदान नहीं की गई।
7.	महन	6/83	सलाहकार समिति द्वारा जून, 1983 में स्वीकार्य पाया गया। राज्य सरकार को पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए अद्यतन लागत अनुमान प्रस्तुत करने है।
8.	ओमकरेश्वर बहुउद्देशीय	11/92	सलाहकार समिति द्वारा जनवरी, 1993 में स्वीकार्य पाया गया। राज्य सरकार को नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, से स्वीकृति प्राप्त करनी है तथा राज्य वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करनी है।
9.	अपर नर्मदा परियोजना	9/96	सितम्बर, 1996 में प्राप्त संशोधित परियोजना रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
मध्यम			
1.	अपर बेदा	9/92	परियोजना 2/97 में जल संसाधन मंत्रालय को तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य पाई गई। राज्य सरकार को पर्यावरण और वन मंत्रालय, राज्य वित्त विभाग तथा कल्याण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करनी अपेक्षित है।
2.	ऊरी बाग	9/93	परियोजना की तकनीकी जांच की जा रही है। केन्द्रीय जल आयोग की कुछ तकनीकी टिप्पिणियों की राज्य सरकार द्वारा अभी अनुपालना की जानी है।

अन्तर्राज्यीय जल विवाद

260. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जल बंटवारे को लेकर राज्य-वार कुल कितने अन्तर्राज्यीय विवाद विचाराधीन है;

(ख) क्या सरकार इन मामलों को समय-बद्ध रूप से हल करने के लिए कोई विशेष कदम उठा रही है;

(ग) क्या सरकार राजस्थान को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराने के लिए कोई समय-बद्ध योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) केन्द्र सरकार को अब तक पांच अन्तर्राज्यीय जल विवाद भेजे गये है जो इस प्रकार है:—

अन्तर्राज्यीय जल विवाद	शामिल राज्य
(i) गोदावरी जल विवाद	आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक
(ii) कृष्णा जल विवाद	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र
(iii) नर्मदा जल विवाद	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान
(iv) रावी व्यास जल विवाद	जम्मू व कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली
(v) कावेरी जल विवाद	केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और संघशासित क्षेत्र पांडिचेरी

(ख) केन्द्र सरकार अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत उपर्युक्त विवादों को निर्णय करने के लिए पहले ही अधिकरण गठित कर चुकी है। अधिकरण उपरिलिखित पहले तीन जल विवादों के सम्बन्ध में अपने-अपने अन्तिम पंचाट पहले ही दे चुके हैं। रावी व्यास और कावेरी के मामले में, अधिकरणों की कार्रवाईयां जारी है।

(ग) और (घ) जल संसाधन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण सम्पूर्ण देश की नदियों को आपस में जोड़ने के लिए अध्ययन कर रहा है ताकि जल को अधिशेष क्षेत्रों से राजस्थान सहित जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल स्थानान्तरित किया जा सके। अध्ययन के अंतर्गत राजस्थान के क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के लिए जल अन्तरण सम्पर्क नीचे दिए गये है:—

(i) सारदा—यमुना सम्पर्क।

(ii) यमुना—राजस्थान सम्पर्क।

(iii) राजस्थान—साबरमती सम्पर्क।

समय-सीमा बताना सम्भव नहीं है क्योंकि प्रस्तावों पर अभी अध्ययन किये जा रहे हैं।

गंगा नदी के बाढ़ के पानी का वितरण

261. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग के पास कितने अन्तर्राज्यीय जल विवाद विचाराधीन है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

पानी की कितनी मात्रा की मांग की गई है तथा क्या केन्द्रीय जल आयोग ने इस आशय की सिफारिश की है; और

(घ) गंगा नदी के बाढ़ के पानी के वितरण के संबंध में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा कब तक अन्तिम सिफारिश कर दी जायेगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) इस समय दो अंतर्राज्यीय जल विवाद अर्थात् रावी-व्यास जल विवाद एवं कावेरी जल विवाद भारत सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित अधिकरणों के निर्णयाधीन है। रावी-व्यास जल विवाद अधिकरण ने 30.1.87 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। कावेरी जल विवाद अधिकरण ने 25.6.1991 को एक अंतरिम आदेश दिया है।

(ग) और (घ) राजस्थान अपने शुष्क क्षेत्रों में उपयोग के लिए हरिद्वार से 7133 क्यूबिक मीटर प्रति सेकेण्ड (क्यूमेक) और बिजनौर से गंगा के बाढ़ के पानी के 566 क्यूमेक जल के व्यपवर्तन की मांग कर रहा है। राजस्थान ने उपयोग के लिए हरिद्वार और